



सहायक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपनिदेशिका  
राष्ट्रीय विलयन जनवाद, हरदोई

घाट संदी 20151033031630  
अन्तर्गत घाट 143 जलविभागीय  
घाम शाहपुर गंगा परगना मल्लावा  
मल्लावा राठविलयन जिलाहरदोई

राजेश्वरी अमिल कुमार महापालय शाहपुर गंगा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रथमक राकेश कुमार वर्मा  
वि० घाम गोरवा परगना मल्लावा राठविलयन जनवाद हरदोई

बनाम  
प्रतिनादी

निर्णय

हरदोई घाट राजेश्वरी अमिल कुमार महापालय शाहपुर गंगा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रथमक  
राकेश कुमार वर्मा द्वारा घाट 143 जलविभागीय अन्तर्गत घोषित कर बनन किया गया कि  
नूतन सं० 346क/0.816, 345क रकबा-0.316 का पूर्ण भाग व 348क/0.816, 259/0.645  
21/258 अर्थात् 0.03880 घाटी के नाम सक्रमणीय भूमिपर दर्ज विवादित भूमि पर कोई भी कृषि  
कार्य, बागवानी, कुकुटपालन, मत्स्य पालन का कार्य नहीं होता है। विवादित भूमि पर कोई पशु  
पिचालन का नवन बना हुआ है। और इसी के प्रयोजन में प्रयोग हो रही है। विवादित भूमि कृषि  
के लिये दर्ज रकबा विधिसम्मत नहीं है। अन्त में उक्त विवादित नूतन सं० 143 पर जलविभागीय  
के अन्तर्गत आकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या  
दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित किया है घाम शाहपुर गंगा के स्थित गाटा सं० 352/0.845  
345क/0.158, 345क/0.158 के पूर्ण भाग व गाटा सं०-346क/0.816 व 348क/0.816 का  
12/258 भाग अर्थात्-0.03880 घाटी राजेश्वरी अमिल कुमार महापालय शाहपुर गंगा मल्लावा  
हरदोई द्वारा प्रथमक राकेश कुमार वर्मा वि० घाम गोरवा के नाम सक्रमणीय भूमि के रूप में  
अर्जित है उक्त भूमि में विद्यालय नवन बना है तथा फील्ड के रूप में प्रयोग होता है। अन्त में  
उक्त भूमि को मूठभारत मुक्त घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या  
विलयन द्वारा राजस्व निरीक्षक की आख्या को स्तुति सहित दिनांक-07.04.2016 को उपस्थित  
किया गया है। मैंने विद्वान अधिकृत को सुना तथा परगना की अवलोकन व अनुशीलन किया।  
राठविलयन जिला जलविभागीय से सहमत होने हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

उक्त आदेश किया जाता है कि घाम शाहपुर गंगा परगना मल्लावा राठविलयन जिला  
हरदोई की खतोना सं० 1420-1425 पर के खाता संख्या 346 पर अंकित गाटा सं० 352/0.845  
345क/0.158, 345क/0.158 के पूर्ण भाग तथा खाता सं०-142 पर अंकित गाटा  
सं०-346क/0.816 व 348क/0.816 का 12/258 भाग अर्थात्-0.03880 के भूमि  
कुकुटपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी से निम्न आकृषिक प्रयोजन (विद्यालय नवन एवं  
फील्ड) में लिये जाने के कारण जलविभागीय की घाट 143 के अन्तर्गत मूठभारत मुक्त घोषित  
किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिदेशिका विलयन को प्रेषित की जाये। परगना उपनिदेशिका  
जाती हो। परगना बाद आवश्यक कार्यवाही दखिल रखते की जाये।

दिनांक-18.04.2015

*(Handwritten Signature)*  
(प्रथम प्रकाश)

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपनिदेशिका  
राष्ट्रीय विलयन जिला हरदोई

~~अमिल कुमार वर्मा~~  
राजेश्वरी अमिल कुमार वर्मा  
कल सं० 143 हरदोई

प्रमाणित प्रतिलिपि  
*(Handwritten Signature)*  
राजेश्वरी अमिल कुमार वर्मा  
कल सं० 143 हरदोई

11-19  
14-19  
418  
*(Handwritten Signature)*

राजेश्वरी अमिल कुमार वर्मा  
कल सं० 143  
25127

आवश्यक पत्रिका का नं०  $\frac{6739}{11119}$

परिशिष्ट - आदेश 10-4-15

धारा - 143

सुक्रमांक - T2015 1033031630

भाग - शाहपुर जंजिर

एतद - बल्लारवा

तहसील - बिलवाग

जिला - हनुमानगढ़

श्रीमती अश्विनी कुमारी देवी काका अणुलाल

अदालत - S.D.O B

दिनांक - 10-4-15



$\frac{412}{8} = 137$